<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।</u>

उपस्थितः– श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (यू.पी.3546)

प्रार्थना पत्र सं0–138/2025

UPHP120042372025

<u>Criminal Misc. Cases/245/2025</u>

गौरव बनाम नबाव आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

<u>दिनांक–18.11.2025</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) BNSS थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दिया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ''प्रार्थी के दादा चार भाई रामप्रसाद, नवाब सिंह, जयपाल, राजपाल सिंह थे। सभी का बटवारा हो चुका था तथा सभी अपने–अपने भाग पर मालिक काबिज थे तथा आज भी है। नबाव सिंह ने अपने भाग की कृषि भूमि स्थित ग्राम लडपुरा तहसील गढ़मुक्तेश्वर हापुड के खसरा सं0 272मि० रकबा एक बीघा सात बिसे तेरह विसवासी खसरा सं० 268 रकबा दस विसवासी व खसरा सं0 269 रकबा दो बीसे सात विवसासी व खसरा सं0 270 रकबा 1 बीसा दस विसवासी व खसरा सं0 271 रकबा तेरह विसवासी कुल खसरा सं० 5 रकबा एक बीघा बारह विसवे तेरह विसवासी मे से अपना पूर्ण रकबा मय बोरिंग के श्रीमती पनमेश्वरी पत्नी जगदीश निवासी ग्राम लडपुरा तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक–05.06.1991 को विक्रय कर दिया जो सबरजिस्ट्रार कार्यलय गढ़मुक्तेश्वर मे बही सं० 1 जिल्द सं0 409/414 पृष्ठ सं0 341/295/300 दस्तोवज सं0 1744 दिनांक 16.08.1991 पर दर्ज है। जबकि खसरा सं0 271 मे नाली व 270 मे चकरोड राजस्व अभिलेख आकार पत्र 41 मे दर्ज है। इसलिए खसरा सं० 270 व 271 को विक्रय का कोई विधिक अधिकार नबाव सिंह को प्राप्त नही था। विक्रेता नबाव सिंह पुत्र हरवंश ने खसरा सं0 268 व 269 राजस्व अभिलेखो मे रामप्रसाद पुत्र हरवंश व राजपाल पुत्र हरवंश के नाम पूर्ण पर दर्ज है। जिसका विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नबाव सिंह पुत्र हरवंश को नही था। नबाव सिंह ने अपने पूर्ण भाग का बैनामा सन् 1991 मे पनमेश्वरी पत्नी दगदीश के हक मे पनमेश्वरी का कब्जा करा दिया परन्तु लिपिकीय गलती के कारण खाता सं० 154 खसरा सं0 272मि० क्षेत्रफल 0.0630 है० भूमि पर नबाव सिंह का नाम रह गया जिस के नबाव सिंह ने सुमन पत्नी नरेश, अर्जुन सिंह पुत्र नरेश, राहुल पुत्र गणेश सिंह के साथ मिलकर षडयन्त्र रचकर फर्जी, दस्तावेज तैयार एक दान पत्र दिनांक 13.08.2025 को किया जो सब रजिस्ट्रार कार्यायल गढ़मुक्तेश्वर मे दिनांक 13.08.2025 दर्ज है। दान पत्र करने का कोई अधिक अधिकार दानकर्ता नबाव सिंह को नही था। चुकी उक्त नबाव सिंह पूर्व मे ही विक्रय कर चुके थे। अर्जुन सिंह, राहुल, सुमन, नबाव सिंह, ने योगेश, अजीत पुत्रगण नरेश के साथ मिलकर जानबूझकर पूर्ण जानकारी होने के पश्चात षडयन्त्र रचकर फर्जी तरीके से बिना किसी अधिकार के प्रार्थी का हक मारने की नियत से सुमन के हक में फर्जी दान पत्र किया है। प्रार्थी उक्त घटना की सूचाने थाने में दी परन्तु कोई भी कार्यवाही आज तक राजनैतिक दबाव के कारण पुलिस ने नही किया विवश होकर श्रीमान जी की शरण में आया है। प्रार्थी ने दिनांक 24.10.2025 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया परन्तु आज तक कोई उचित कार्यवाही नही की गयी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना हाजा सिम्भावली को आदेशित कर प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।''

थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत आख्या से स्पष्ट है कि थाना हाजा पर उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विपक्षी सं0–1 ता 4 द्वारा आपस में षड़यंत्र कर प्रश्नगत सम्पत्ति का फर्जी दान पत्र विपक्षी सं0–5 व 6 को कर दिये जाने के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि खसरा सं० 270 व 271 को विक्रय का कोई विधिक अधिकार नबाव सिंह को प्राप्त नही था। विक्रेता नबाव सिंह पुत्र हरवंश ने खसरा सं0 268 व 269 राजस्व अभिलेखो मे रामप्रसाद पुत्र हरवंश व राजपाल पुत्र हरवंश के नाम पूर्ण पर दर्ज है, जिसका विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नबाव सिंह पुत्र हरवंश को नही था। नबाव सिंह ने अपने पूर्ण भाग का बैनामा सन् 1991 मे पनमेश्वरी पत्नी दगदीश के हक मे पनमेश्वरी का कब्जा करा दिया, परन्तु लिपिकीय गलती के कारण खाता सं० 154 खसरा सं0 272मि० क्षेत्रफल 0.0630 है० भूमि पर नबाव सिंह का नाम रह गया जिस के नबाव सिंह ने सुमन पत्नी नरेश, अर्जुन सिंह पुत्र नरेश, राहुल पुत्र गणेश सिंह के साथ मिलकर षडयन्त्र रचकर फर्जी, दस्तावेज तैयार एक दान पर दिनांक 13.08.2025 को किया जो सबरजिस्ट्रार कार्यायल गढ़मुक्तेश्वर मे दिनांक 13.08.2025 दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच में सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति को लेकर विवाद है तथा वाद की प्रकृति पूर्ण रूप से दीवानी है, जिसके सम्बन्ध में उचित अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र से ऐसा कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं होता है जो कि विपक्षीगण द्वारा किसी आपराधिक कृत्य का किया जाना स्पष्ट करता है। प्रथम दृष्टया विपक्षीगण द्वारा किसी भी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।